

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा
चण्डीगढ़।

सेवा में

1. सभी संयुक्त निदेशक औ० सु० एवं स्वा०, हरियाणा राज्य।
2. संयुक्त श्रम आयुक्त-1, मुख्यालय
3. सभी उप निदेशक, औ० सु० एवं स्वा०, हरियाणा राज्य
(फरीदाबाद को छोड़कर)
4. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य (फरीदाबाद, गुड़गांव-2 व पानीपत को छोड़कर)
5. उप श्रम आयुक्त (कल्याण)
6. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य (सहायक श्रम आयुक्त-5, गुड़गांव को छोड़कर)
7. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद व पानीपत।
8. सभी सहायक निदेशक, औ० सु० एवं स्वा०, हरियाणा राज्य।
9. सभी ब्रांच उप अधीक्षक
10. आई.टी.सैल को विभाग की साईट पर अपलोड करने बारे।

क्रमांक:- स्था०/०३/२०१६/ 37828-895
दिनांक:- 16/9/16

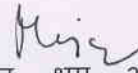
विषय:-

विधान सभा में प्रश्न संख्या 543 पर सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन
का कमेटी को उत्तर भेजने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक स्था०/३५५५-६५५
दिनांक ०१.०९.२०१६ व स्मरण पत्र क्रमांक ३६९२१-३७००० दिनांक १२.०९.२०१६ के संदर्भ
में।

विषय संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि विधान सभा प्रश्न संख्या
५४३ का जवाब भेजने बारे आपसे सूचना दो दिन के अन्दर-२ मांगी गई थी, जोकि कई
दिन बीत जाने के बावजूद भी यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है। विधान सभा से संबंधित
प्रश्नों का जवाब समय पर दिया जाना आवश्यक होता है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रश्न का जवाब आज दिनांक
१९.०९.२०१६ को तुरन्त स्थापना शाखा में ई-मेल(Establishment456@gmail.com)/फैक्स से
भेजें, ताकि उक्त प्रश्न का जवाब अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, न्याय
प्रशासन विभाग को भेजा जा सके। अतः इसे अति आवश्यक समझे। देरी के लिए आप
स्वयं जिम्मेवार होंगे।


अतिरिक्त श्रम आयुक्त(प्रशा०)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा